The Chhattisgarh Municipalities (Amendment) Act, 2003

Act 5 of 2003

Keyword(s): Director Urban Planning and Development, Mohalla Committee

CHHATTISGARH ACT
(No. 5 of 2003)

THE CHHATTISGARH MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 2003

An Act further to amend the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-fourth year of the Republic of India as follows:

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Municipalities (Amendment) Adhiniyam, 2003 (No. 5 of 2003).

(2) It shall come into force from date of its notification in the official Gazette.

2. In Section 322 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereinafter called Principal Act, for words "Divisional Commissioner" the words "Director Urban Planning and Development" shall be substituted.

3. In sub-section (1) of the Principal Act, for words "Divisional Commissioner" the words "Director Urban Planning and Development" shall be substituted.

4. In sub-section (1) and (2) of the Principal Act, for words "Divisional Commissioner" the words "Director Urban Planning and Development" shall be substituted.

5. In sub-section (1) of the Principal Act, for words "Commissioner" the words "Director Urban Planning and Development" shall be substituted.

6. In sub-section (2) of the Principal Act, for words "Commissioner" the words "Director Urban Planning and Development" shall be substituted.
CHHATTISGARH ACT
(No. 10 of 2004)

CHHATTISGARH MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 2004

An Act further to amend the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-fifth year of Republic of India as follows:

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Municipalities (Amendment) Act, 2004.

2. It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. After sub-section (5-a) of Section 3 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), hereinafter referred to as the Principal Act, following new definition shall be inserted, namely-

(5-b) "Collector" means the District Collector appointed by the State Government under Section 16 of the Chhattisgarh Land Revenue Code 1959.

After sub-section (10-a) of Section 3 of the Principal Act, following new definition shall be inserted, namely-

(10-b) "Director" means the Director of Urban Administration and Development appointed by the State Government.

3. In Section 32-C of the Principal Act, for the word "Member" the words "President or Councillor" shall be substituted and for words "for a period of five years" the words "for a period not exceeding five years" shall be substituted.

4. After Section 32-C of the Principal Act, following new Section 32-D shall be inserted, namely-

"Section 32-D: The State Election Commission, on making an application within thirty days from the date of publication of the order, passed under clause (b) of Section 32-C in the official Gazette may for reasons to be recorded in writing remove any disqualification or reduce the period of any such disqualification."

5. After clause (q) of Section 35 of the Principal Act, following new clause shall be inserted, namely-

(r) "has been disqualified under Section 32-C".

6. In Sub-section (1) of Section 38 of the Principal Act, for word "Councillor" the words "President or Councillor" shall be substituted.

7. After clause (c) of sub-section (1) of Section 38 of the Principal Act, following new clause shall be inserted, namely-

(cc) "becomes disqualified for being chosen as and for being a President or Councillor under section 32-C."

8. In clause (e) of sub-section (1) of Section 38 of the Principal Act, for word "Councillor" the words "President or Councillor" and in clause (f) for the word "Councillor" the words "President or Councillor" shall be substituted.
Insertion of New Section 55-A.

9. After Section 55 of the Principal Act, the following New section shall be inserted namely:

"Section-55-A Oath or affirmation by the President and the Councillor." (1)

Every President and every Councillor shall before taking part in the election of Speaker in the first meeting of the Council/Nagar Panchayat or before entering upon his office, as the case may be, shall make and subscribe in the presence of the concerned Sub-Divisional Magistrate an oath or affirmation in the following form:

I......................... President/ elected councillor/ nominated councillor of Municipal Council/Nagar Panchayat swear in the name of God/solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and I will faithfully and impartially perform my duties.

If the President or Councillor does not take an oath under sub-section (1), it shall be deemed that such President or Councillor as the case may be, has not assumed his office.

Provided that, except with permission of the Collector, if any President or Councillor, as the case may be, does not take an oath within 30 days from the date of his election or nomination, as the case may be, his seat shall be deemed to have fallen vacant 'ad interim'.

(2)

Amendment of Section 72-A

10. In sub-section (4) of Section 72-A of the Principal Act, for the word "meeting" the word "matters" shall be substituted.

Amendment of Section 125

11. In sub-section (1) of Section 125 of the Principal Act, for the word "mater" the word "matter" shall be substituted.

Insertion of New Sub-section (1-A).

12. After subsection (1) of Section 126 of the Principal Act, following new sub-section (1-A) shall be inserted namely:

"Sub-section. The Chief Executive Officer shall prepare the draft resolution under sub-section (1) of Section 126 of the Principal Act and submit it before the commencement of financial year. The draft resolution shall be approved by the President by a resolution passed by the Council. Any resolution required by sub-section (1) of Section 126 of the Principal Act of the draft resolution prepared by the Chief Executive Officer shall be presented to the President and the resolution as approved by the President shall be deemed to be the resolution finally adopted by the Council."

Provided that if the President does not approve the draft resolution prepared by the Chief Executive Officer by 30th April of the current financial year, the draft resolution as prepared by the Chief Executive Officer shall be deemed to be the resolution finally adopted by the Council.

9. Insertion of New Section 55-A.
CHHATTISGARH ACT
(No. 11 of 2005)

THE CHHATTISGARH MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 2005

An Act further to amend the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961)

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-sixth year of Republic of India as follows:

1. (1) This Act may be called the "Chhattisgarh Municipalities (Amendment) Act, 2005".

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. For sub-sections (1), (2), (3), (4) and (5) of Section 72-B of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the following shall be substituted, namely:

"(1) The Mahalla Committees shall be constituted within six months from the date of first meeting of the Council after the election of each Municipal Council and Nagar Panchayat.

(2) The number of Mahalla Committees and determination of their territorial area, number of Members and functions, powers and the procedure for the conduct of business shall be determined in such manner as may be prescribed by the State Government."
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 174-अ ] रायपुर, सोमवार, विनांक 6 मई 2019 — वेशाल 16, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महान्यार, भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, विनांक 6 मई 2019

क्रमांक 4662/डी. 94/21-अ/प्राव/छ. न./19.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर विनांक 15-03-2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एवं अध्यक्ष सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार डाकू, अतिरिक्त सचिव.

348 (1)
छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 7 सन् 2019)
छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2019
छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु अधिनियमः।

भारत गणराज्य के सततवर्ष में छत्तीसगढ़ विधानसभा का निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो:-

संख्या नाम, विवरण तथा प्रारूपः।
1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलाता है।
(2) इसका विवरण सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
(3) यह राज्य में इसके प्रकाशन की तिथि से प्राप्त होगा।

धारा 19 का संशोधनः।
2. छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 19 की उप-धारा (1) में,-

(एक) खण्ड (7) के परंपरुक के पथवाले, अन्य बिराम चिह्न ""," के स्थान पर, कोजन चिह्न ".": प्रतिस्थापित किया जाएँ।
(दो) खण्ड (7) के परंपरुक के पथवाले, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अथवाः।-

“भारत और जिस राज्य नगरपालिका तथा/या नगर पंचायत के आम चुनाव में, कोई भी विवाद व्यक्ति नहीं चुना जाता है, तो आवश्यक, ऐसी नरपालिका तथा/या नगर पंचायत में, जैसी भी सम्मिलित हो, एक विवाद व्यक्ति को नामांकित करें और इस प्रकार नामांकित विवाद व्यक्ति सदस्य, इस खण्ड के अर्थी मतोंगित समान्य सदस्यों के अतिरिक्त होगा।

स्पष्टीकरणः। इस परंपरुक के प्रयोग के लिये विवाद व्यक्ति विवाद द्वारा अभिधारण होगा, जिसी विवादीय चिन्हिका द्वारा सम्पूर्ण रूप से यथा प्रमाणित व्यक्ति, जिसे विवाद कारण प्रकाश अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की अनुसूची में सम्मिलित एक या अनेक विवाद व्यक्ति हो, विवाद सार्वत्रर क्रमांक 2 (विभिन्न विवादांत) और 3 (प्रारंभिक व्यवहार) में उल्लिखित विवादांत के।”

अंतल नगर, दिनांक 6 मई 2019
क्रमांक 4662/डी. 94/21-अ/प्रारं. /छ. म. /19।— भारत के संविधान के अनुसूचियों 348 के खण्ड (3) के अनुसार में इस विवाद की समस्याक
अधिकृत भाषा दिनांक 6-5-2019 का अंतर्गत अनुच्छेद राज्यपाल के प्राधिकार से एन्ट्री किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव।
CHHATTISGARH ACT
(No. 7 of 2019)

CHHATTISGARH MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 2019

An Act further to amend the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Municipalities (Amendment) Act, 2019.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In sub-section (1) of Section 19 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961),-

(i) after proviso of clause (c), for the punctuation full stop “.”, the punctuation colon “:” shall be substituted;

(ii) after proviso to clause (c), the following shall be added, namely :-

“Provided further that if in the general election to the Municipalities and/or Nagar Panchayat, no person with disability has been elected, then the State Government shall nominate to such Municipalities and/or Nagar Panchayat, as the case may warrant, a person with disability, and the members with disability so nominated shall be in addition to the general members nominated under this clause.

Explanation : Person with disability for the purpose of this proviso shall mean a person, as duly certified by a Government doctor, to have one or more of the disabilities included in the Schedule to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (No. 49 of 2016) except for disabilities mentioned therein against serial numbers 2 (Intellectual disability) and 3 (Mental Behaviour);”
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 836]
रायपुर, जुलाई, दिनांक 12 डिसम्बर 2019 — आदेशः 21, तार 1941

विधि एवं विधायी कार्यविभाग
मंत्रालय, महानगरी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 12 डिसम्बर 2019

क्रमांक 12791/डी. 226/21-अ/प्रार/छ.ग./19.- छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक
10-12-2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, पूर्ववर्ती सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.
छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 18 सन् 2019)
छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2019

छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के सततत्ववेक्ष वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलाएगा।
   (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
   (3) यह ऐसी तारीख से प्रदूष फूटी जिसे राज्य सरासन, अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

2. छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961), (जो इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम के रूप में निर्धारित है), में, धारा 19 में,—

(एक) उप-धारा (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्पष्टित किया जायें, अर्थातः—

“(क) अध्यक्ष, जो नगरपालिक क्षेत्र के किसी भी गार्ड से पार्षद निर्वाचित हुआ हो, और तत्पश्चात, व्यक्तित्व, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत के निर्वाचित पार्षदों द्वारा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ हो;”

(दो) उप-धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्पष्टित किया जायें, अर्थातः—

“(4) यदि किसी नगरपालिक क्षेत्र का कोई
वार्ड, पार्षद का निर्विवेच करने में असफल रहता है। तो ऐसे वार्ड के स्थान को भरने के लिए छ: माह के भीतर नई निर्विवेच कार्यवाहियाँ प्रारंभ की जायेंगी और जब तक उस स्थान को भरा नहीं जाता, उसे आंकसिक रूप से रक्षा जाएगा।

परंतु अधिनियम के अधीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी समितियों के निर्विवेच की कार्यवाहियाँ, ऐसे स्थान का निर्विवेच लंबित रहते, स्थानित नहीं की जायेंगी।

3. मूल अधिनियम में, धारा 20—ख में, उप—धारा (2) में, खण्ड (ख) में, उप—खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायें, अर्थात—

"(तीन) अध्यक्ष के निर्विवेच की वश्व में, किसी पार्षद द्वारा।"

4. मूल अधिनियम में, धारा 29—ख में, उप—धारा (4) के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जायें, अर्थात—

"(4—क) ऐसी नगरपालिका तथा नगर पंचायत में जहां, इस धारा के अनुसार, अध्यक्ष का पद, किसी विशेष विभाग के उपभाषिक के लिये आरक्षित किया गया हो, वहां ऐसा कोई भी निर्विवेच पार्षद, जो अध्यक्ष पद हेतु आरक्षित प्रवर्ग का हो, अध्यक्ष के पद हेतु प्रत्याशी बन सकेगा, चाहे वह वार्ड, जहां से
वह निर्वाचित हुआ हो, उस प्रवर्तन के, लिए
आरक्षित हो या नहीं।

5. मूल अधिनियम में, धारा 30 में, खण्ड (ती) के परस्पर,
निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थातः—
“(ढ़ि) किसी पंचायत या किसी नगरपालिका के
नगरपालिक क्षेत्र से संबंधित किसी निर्वाचक
नामांकन में रजिस्ट्रीकृत नहीं है;
स्पष्टीकरण 1: इस धारा के प्रयोजन हेतु
“पंचायत” का वही अर्थ होगा जैसा कि
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993
(क्र. 1 सन 1994) की धारा 2 के खण्ड
(सत्रह) में उसके लिए समनुदेशित है:
स्पष्टीकरण 2: इस धारा के प्रयोजन हेतु
“नगरपालिक क्षेत्र” का वही अर्थ होगा जैसा
कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम
अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन 1956) की
धारा 5 के खण्ड (34-क) में उसके लिए
समनुदेशित है।”

6. मूल अधिनियम में, धारा 32 में,—
(एक) उप-धारा (1) में, शब्द “अवश्यं तथा” जहाँ कही
भी आया हो, का लोप किया जाये;
(दो) उप-धारा (2) में, शब्द “अवश्यं तथा” का लोप
किया जाये।

7. मूल अधिनियम में, धारा 32–क में, उप-धारा (1) में,
शब्द “अवश्य” जहाँ कहीं भी आया हो, के स्थान पर,
शब्द “पारं” प्रतिस्थापित किया जाये।
8. मूल अधिनियम में, धारा 32--ख में, शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर, शब्द "पार्षद" प्रतिस्थापित किया जाये।

9. मूल अधिनियम में, धारा 32--ग में, शब्द "अध्यक्ष या" का लोप किया जाये।

10. मूल अधिनियम में, धारा 33 में,
    (एक) शब्द "या अध्यक्ष" का लोप किया जाये;
    (दो) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थातः--

    "परंतु यह कि कोई भी व्यक्ति पार्षद के किसी भी निर्वाचन में एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा।"

11. मूल अधिनियम में, धारा 34 में,
    (एक) उप--धारा (1) में, खण्ड (क) का लोप किया जाये;
    (दो) उप--धारा (4) का लोप किया जाये।

12. मूल अधिनियम में, धारा 35 में,
    (एक) शब्द "अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन या" का लोप किया जाये;
    (दो) खण्ड (घ) में, शब्द "अध्यक्ष की दशा में आयु पच्चीस वर्ष से कम हो तथा" का लोप किया जाये।

13. मूल अधिनियम में, धारा 43 में,
    (एक) शीर्षक में, शब्द "उपाध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "अध्यक्ष तथा" अंत:स्थापित किया जाये;
    (दो) उप--धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थातः--
14. मूल अधिनियम में, धारा 43-क में,—
(एक) शीर्षक में, शब्द "उपाध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "अध्यक्ष या" अंतर्भाषित किया जायें;
(दो) उप-धारा (1) में, शब्द "उपाध्यक्ष" जहां कहीं भी आया हो, के पूर्व, शब्द "अध्यक्ष या" अंतर्भाषित किया जायें;
(तीन) उप-धारा (2) में, खण्ड (दो) में, शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर, शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष" प्रतिस्थापित किया जायें।

15. मूल अधिनियम में, धारा 47 का लोप किया जायें।

16. मूल अधिनियम में, धारा 55 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायें, अर्थात्—
"55. साहाय्य निर्वाचन के प्रस्ताव प्रथम समिलन—
(1) राज्य निर्वाचन आयोग, धारा 45 के अधीन
निर्वाचन की अविस्मरण की तारीख से 15 दिन
के भीतर, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के
प्रयोजन के लिए निर्णयित पारिवो का समिलन
बुलाएगा।

(2) उप-धारा (1) के अंतः समिलन, ऐसी संति में
बुलाया जाएगा, जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग
हार अवधारित किया जाये, जिसकी अध्यक्षता
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी,
हार की जाएगी। अध्यक्षता करने वाले
अधिकारी को मत देने का अधिकार नहीं होगा
और मत बराबर होने की दशा में, परिणाम लाट
हारा विनियमित किया जाएगा।

17. मूल अधिनियम में, धारा 56 में, अंक "47" का लोप
किया जाये।

18. मूल अधिनियम में, धारा 62 में, उप-धारा (3) में, खण्ड
(लीन) के परंपर में, शब्द तथा अंक "या 47" का लोप
किया जाये।

19. मूल अधिनियम में, धारा 63 में, परंपर में, शब्द
"उपाध्यक्ष या" का लोप किया जाये।

20. मूल अधिनियम में, धारा 326 में, उप-धारा (1) में, खण्ड
(ख) में, शब्द "उपाध्यक्ष" जहा करी भी आये हो के पूर्व,
शब्द "अध्यक्ष तथा" अंतर्यामित किया जाये।

21. छत्तीसगढ़ नगारपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (के.
3 सन् 2019) एतदृशा निरसित किया जाता है।

अन्त: नगर, दिनांक 12 दिसम्बर 2019

क्रमांक 12791/२६. २२६/२१-३/प्राशु. ४-ग./१९.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में
इस विमान की अधिनियम दिनांक 12-12-2019 का अंतर्गत अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदृशा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा अव्याख्यात,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.
CHHATTISGARH ACT
(No. 18 of 2019)
THE CHHATTISGARH MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 2019

An Act to further amend the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Municipalities (Amendment) Act, 2019.
(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.
(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

2. In the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), (hereinafter referred to as the Principal Act), in Section 19,—
   (i) in sub-section (1), for clause (a), the following shall be substituted, namely:-
   "(a) a President, who should be an elected Councilor from some ward in the Municipal
area, and is elected thereafter as President by the elected Councilors of the Municipal Council or Nagar Panchayat, as the case may be;"

(ii) for sub-section (4), the following shall be substituted, namely:-

“(4) If any ward of any municipal area fails to elect a Councilor, fresh election proceedings shall be commenced for such ward within six months to fill the seat and until the seat is filled, it shall be treated as casual vacancy:

Provided that proceedings of election of President or Vice-President, or any of the Committees under the Act shall not be stayed, pending the election to such seat.”

3. In the Principal Act, in Section 20, in sub-section (2), in clause (b), for sub-clause (iii), the following shall be substituted, namely:-

“(iii) in the case of election of President by any Councilor;”

Amendment of Section 20.
4. In the Principal Act, in Section 29-B, after sub-section (4), the following shall be added, namely:

"(4-a) In the case of Municipal Councils and Nagar Panchayats where, in terms of this Section, the office of the President is reserved for candidate from a specific category, any elected councilor belonging to such category for which the office of the President is reserved, may become a candidate for the office of President, irrespective of whether the ward he was elected from was reserved for such category or not."

5. In the Principal Act, in Section 30, after clause (c), the shall be added, namely:

"(d) is not registered in any electoral roll related to a Panchayat or municipal area of a municipality:

**Explanation-1:** For the purpose of this Section 'Panchayat' shall have the same meaning as assigned to it in clause (xvii) of Section 2 of the Chhattisgarh Panchayati Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994):
Explanation-2: For the purpose of this Section "municipal area" shall have the same meaning as assigned to it in clause (34-a) of Section 5 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956).

6. In the Principal Act, in Section 32,-
   (i) in sub-section (1), the words "Presidents and" wherever they occur, shall be omitted.
   (ii) In sub-section (2), the words "Presidents and" shall be omitted.

7. In the Principal Act, in Section 32-A, in sub-section (1), for the word "President" wherever it occurs, the word "Councilor" shall be substituted.

8. In the Principal Act, in Section 32-B, for the word "President", the word "Councilor" shall be substituted.

9. In the Principal Act, in Section 32-C, the words "President or" shall be omitted.

10. In the Principal Act, in Section 33,—
   (i) the words "or President" shall be omitted;
   (ii) for proviso, the following shall be substituted, namely:-
       "Provided that no person shall vote more than once in any election of the Councilor."
11. In the Principal Act, in Section 34,—
   (i) in sub-section (1), clause (a) shall be omitted;
   (ii) sub-section (4) shall be omitted.

12. In the Principal Act, in Section 35,—
   (i) the words "election nomination as a President or" shall be omitted;
   (ii) In clause (dd), the words "is less than twenty-five years of age, in the case of a President and" shall be omitted.

13. In the Principal Act, in Section 43,—
   (i) in the heading, before the words "Vice President", the words "the President and" shall be inserted.
   (ii) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) The State Election Commission shall cause the election of President and Vice-President immediately after every election of Municipal Council and Nagar Parishad in such manner as may be prescribed. The elected members of the Council shall elect a President and a Vice-President in the prescribed manner, from elected
members in its first meeting as specified in Section 55."

(iii) In sub-section (3), before the words “Vice President”, the words “the President and” shall be inserted.

14. In the Principal Act, in Section 43-A,—

(i) in the heading, before the words “Vice President”, the words “the President or” shall be inserted.

(ii) in sub-section (1), before the words “Vice President”, wherever they occur, the words “the President or” shall be inserted.

(iii) in sub-section (2), in clause (ii), for the word “President”, the words “President, Vice-President” shall be substituted.

15. In the Principal Act, Section 47 shall be omitted.

16. In the Principal Act, for Section 55, the following shall be substituted, namely:-

"55.First Meeting after General Election.—(1) The State Election Commission shall, within 15 days from the date of the notification of election under Section 45, call a meeting of the elected Councilors for the
purpose of electing a President and Vice-President.

(2) Meeting under sub-section (1) shall be called in such manner as may be determined by the State Election Commission, which shall be presided over by the officer authorized by the State Election Commission. The presiding officer shall not have the right to vote and in case of equality of votes, the result shall be decided by lot."

17. In the Principal Act, in Section 56, the figure "47" shall be omitted.  

18. In the Principal Act, in Section 62, in sub-section (3), in the proviso to clause (iii), the word and figure "or 47" shall be omitted.

19. In the Principal Act, in Section 63, in the proviso, the words "Vice President, or the", shall be omitted.

20. In the Principal Act, in Section 328, in sub-section (1), in clause (b), before the word "Vice-President" wherever they occur, the words "President and" shall be inserted.

21. The Chhattisgarh Municipalities (Amendment) Ordinance, 2019 (No. 3 of 2019) is hereby repealed.
छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 595]
रायपुर, भंगलबाज, विनांक 17 नवम्बर 2020 — वार्षिक 26, वर 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानगरी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, विनांक 17 नवम्बर 2020

क्रमांक 8745/सी. 165/21-अ/प्रल. /ख. न. /20. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का विनिलिपित अधिनियम जिस पर विनांक 31-10-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एवं उसके संरक्षण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काठियाल, अतिरिक्त सचिव.

1189
छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 24 तसू 2020)

छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (प्रा. 37 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहलवी वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संशित नाम तथा प्रारंभ:

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा।

(2) यह राज्य में इसके प्रकाशन की तारीख से प्राप्त होगा।

पारा 161 में संशोधन: 2. छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (प्रा. 37 सन् 1961) की पारा 161 की उप-पारा (1) के परिवर्तन के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अथवा:—

“परिवर्तन यह कि राज्य शासन, समय-समय पर, शासकीय राज्य को प्रकाशित अधिमुखता के माध्यम से, कुछ या सभी व्यक्ति संशोधन के अंतरात्मा को, आंशिक या पूरी तरह से, अथाहय या स्थाई रूप से, ऐसी जटिल के अधिनी, जैसा कि अधिमुखता में निर्मित किया जाये, इस उप-पारा में अंतरिक्ष प्राध्याय से छुट दे सकेगा।”

अटल नगर, दिनांक 17 नवम्बर 2020

क्रमांक 8745/डी. 165/21-अ/प्राव./ढ. ग./20, —— भारत के संविधान के अनुसार 348 के खण्ड (3) के अनुसार में इस विधान की समसंख्यक अधिनियम दिनांक 17-11-2020 का अंकानुसार अनुप्राय राज्यपाल के प्राधिकार में प्रतिस्थापित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अति-रक्षत सचिव.
CHHATTISGARH MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 2020

An Act further to amend the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy First Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Municipalities (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. For proviso of sub-section (1) of Section 161 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the following shall be substituted, namely :-

“Provided that the State Government may from time to time, by Notification published in the Official Gazette, exempt the transfer of some or all immovable properties, partly or fully, temporarily or permanently, from the provision contained in this sub-section, subject to such conditions as it may specify in the Notification.”
छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/पुर्ख/09/2013-2015."

क्रमांक 113]
रायपुर, झुकवार, विनिमय 12 फरवरी 2021 — माघ 23, शुक्र 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंगलव, महानगरी भवन, नया रायपुर अटल नगर
अटल नगर, विनिमय 12 फरवरी 2021

क्रमांक 2541/डी. 23/21-अ/प्राफ. /छ. ग./21. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर विनिमय 30-01-2021 को राज्यपाल की अप्रवृत्ति प्राप्त हो चुकी है, एवं उपरोक्त सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काठिया, अतिरिक्त सचिव,

225
छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम,

भारत गणराज्य के इकतन सबूच वर्ष में छत्तीसगढ विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा।

2. (1) यह राजपत में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रशस्त होगा।

पारा 35 का संशोधन. 2. मूल अधिनियम की पारा 35 के खंड (च) का तोप किया जाये।

पारा 187 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की पारा 187 की उप-पारा (7) में, जब "एक वर्ष" के स्थान पर, जब "दो वर्ष" प्रतिवर्ष दिया जाये।

पारा 187-क का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की पारा 187-क की उप-पारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

“(2) इस पारा में इसके विशेष किसी साधन के रहते हए भी, राज शासन, मंत्रिपरिषद की सहमति प्राप्त करने के पश्चात्, व्यापक जनहित में, ऐसे कारणों से, जिन्हें लिखित में दर्ज किया जायेगा, परिवर्तन की अनुमति पर, किसी विशेष प्रकार में, आंधक या पूर्ण रूप से, इस धरा के अधीन अपराधों के क्रम पर देव शुल्कों में छूट प्रदान कर सकेगा।

स्पष्टीकरण-1: इस धरा के प्रयोजन के लिये, हब "व्यापक जनहित में" का आशय केवल निम्नलिखित तक सीमित होगा:-

(क) ऐसे विशारद और संस्थाओं, जो विवाद कम से कम पांच वर्षों से विलंब, जिनमें बर्मर्द व्यक्तियों की आमंत्रित को यह प्रक्षेप देने हेतु कॉल किया जायेगा, परिवर्तन की अनुमति प्राप्त हो, तथा जिन्हें विशिष्टविभाग अनुदान आयोग और/या केन्द्रीय द्वारा राज शासन से अनुमति प्राप्त हो;

(ख) ऐसे असफलता तथा स्वास्थ्य केन्द्र, जो केन्द्रीय द्वारा राज शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो, तथा मूल रूप से गरीबों या बिंदु लोगों को धमिकी सेवा प्रदान करती हो;

(ग) धामिक और संस्थाओं समितियों, जो समाज सेवा के क्षेत्र में सक्षम हों, एवं हमें इस धरा के अंतर्गत उनका अधिकार ऐसे मजबूतों के प्रति संतुष्ट हो, जो आपातकालीन या व्यापक न हो;

(घ) ऐसे संस्थाओं, जो केन्द्रीय द्वारा या राज शासन द्वारा सम्बन्धित स्पष्ट से मान्यता प्राप्त हो, तथा जो विवाद कम से कम पांच या इससे अधिक वर्षों से सक्षम हो, जो अनाधिकारिक या अधिकार रूप से व्यक्तियों, परिवर्तन महत्त्वपूर्ण व विशेष नागरिकों हेतु आधम का संचालन करने हो।

स्पष्टीकरण-2: उसे विशेष प्राधिकृत, ऐसे किसी प्रकार पर भी अनुमत हो सकेगा, जो इस प्राधिकृत के प्रभावी होने के लिये में संचालित हो।"
CHHATTISGARH MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 2020

An Act further to amend the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Municipalities (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall come into force from a date of its publication in the Official Gazette.

2. Clause (f) of Section 35 of the Principal Act shall be omitted.

3. In sub-section (7) of Section 187 of the Principal Act, for the words “one year”, the words “two years” shall be substituted.

4. After sub-section (1) of Section 187-A of the Principal Act, the following shall be added, namely :-

“(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Section, the State Government may, after obtaining approval of the Council of Ministers, in larger public interest, for reasons to be recorded in writing, on the recommendation of Council, waive in part or whole the fees for compounding of offences under this Section, in any particular case:

Explanation-1: For the purpose of this Section, the term ‘Larger public interest’ is restricted to the following :-

(a) Institutes or organizations active in the field of education including training for skills-development for promotion of livelihood of the underprivileged, for at least five preceding years, and which receive grants from the University Grants Commission and/or the Central or State Government(s);

(b) Hospitals and healthcare centres which are recognized by the Central or State Government, and primarily render charitable services to the poor and underprivileged;

(c) Religious and charitable organizations active in the field of social service, provided their offences under this Section relate to construction of buildings other than residential or commercial;
(d) Institutions, duly recognized by the Central and/or State Government(s), that run orphanages, facilities for physically or mentally challenged persons, destitute homes for women or senior citizens, and have been active for a period of preceding five years or more.

Explanation -2: The above provision shall also apply in any of such cases as may be pending on the date this provision comes into force.
छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 145] रायपुर, बुधवार, निवासक 31 मई 2023 — योग्यता 10, उक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी मवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 मई 2023

क्र. 6949/डी. 57/21-अ/प्रारू. /छ.ग./23. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 15–05–2023 को राज्यपाल महादेव को अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतत्वार्थ सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन प्रसाद गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.
छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 13 सन् 2023)

छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2023.

छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवे वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियममंत रहा:-

संक्षिप्त नाम 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, लेखन प्रारंभ.
2023 कहलायेगा।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 87 का 2. छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961)
संशोधन (जो इसमें इसके पर्यावरण मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 87 की उप-धारा (2) के पश्चात, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ा जाये, अर्थातः-

"(3) इस अधिनियम में अन्तः अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, ऐसे मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को, जो विहित योग्यता रखते हो, राजपत्रित अधिकारी तथा बना सकेगा:

स्पष्टीकरण-1: मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को राजपत्रित अधिकारी बनाने हेतु योग्यता की शर्तें तथा प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसा कि इस प्रयोजन हेतु बनाये गये नियमों द्वारा विहित किया जाये।

स्पष्टीकरण-2: इस उप-धारा में अंतर्विष्ट किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि मुख्य नगरपालिका
अधिकारी की किसी भी अन्य सेवा शर्त या प्रासंगिकता में किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ता है या परिवर्तन आता है।”

3. (1) मूल अधिनियम की धारा 339-ख की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के रूप में, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायें, अर्थातः-

"(क) नगरपालिका क्षेत्र या नगर पंचायत क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, की प्रत्येक आवासीय कालोनी में, कालोनी निर्माण (कालोनाईज़र) द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए तथा निम्न आय वर्ग के लिए, पृथक रूप से, विकसित भू-खण्ड और/या निर्मित आवास/प्रकोष्ठ, ऐसी संख्या में तथा ऐसे आकार में, जैसा कि राज्य शासन द्वारा विहित किया जायें, आरक्षित रखना होगा:\n
परंतु यह कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित किये जाने वाले विकसित भू-खण्डों और/या निर्मित आवासों/प्रकोष्ठों की कुल संख्या, कालोनी में विकसित भू-खण्डों और/या निर्मित आवासों/प्रकोष्ठों की कुल संख्या का 9% से कम नहीं होगा तथा निम्न आय वर्ग के लिए यह 6% से कम नहीं होगा:\n
परंतु यह और कि राज्य शासन, नियमों द्वारा यह प्रावधानित कर सकेगा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु कालोनी निर्माण (कालोनाईज़र), विकसित
भू-खण्ड और/या निर्मित आवास/प्रकोष्ठ, कालोनी
से मिन्न अन्यत्र किसी ऐसे स्थान पर उपलब्ध करा
सकेगा, जो स्थान, इस संबंध में विहित शर्तों के
अनुसार मान्य हो।

(2) उप-धारा (2) का लोप किया जाये।

अटल नगर, दिनांक 31 मई 2023

क्र. 6949/डी. 57/21-3/प्रारू. /छ.ग. /23. - भारत के सचिवालय के अनुसरण में इस विभाग का समस्तयक अधिनियम दिनांक 31-05-2023 का अंदरजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से
एलबुड़ा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन प्रसाद गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.
CHHATTISGARH ACT
(No. 13 of 2023)

CHHATTISGARH MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 2023.

An Act further to amend the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy Fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Municipalities (Amendment) Act, 2023.  

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. After sub-section (2) of Section 87 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following sub-section shall added, namely:-

“(3) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the State Government may, by notification in the Official Gazette, make such Chief Municipal Officers as Gazetted Officers having the prescribed qualification.
Explanation-1: The conditions for eligibility, and the procedure for Chief Municipal Officers to be made Gazetted Officers shall be as may be prescribed by rules framed for this purpose.

Explanation-2: Nothing contained in this sub-section shall be construed to affect or alter any other service condition or status of the Chief Municipal Officer.”

Amendment of Section 339-B. 3. (1) For clause (a) of sub-section (1) of Section 339-B of the Principal Act, the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) In every residential colony in the municipal area or the Nagar Panchayat area, as the case may be, the colonizer will have to reserve developed plots and/or constructed houses/flats, separately for the economically weaker sections and for the lower income groups, in such number, and of such size, as may be prescribed by the State Government;
Provided that the total number of the developed plots and/or constructed houses/flats, to be reserved for the economically weaker sections shall not be less than 9% of the total number of developed plots and/or constructed houses/flats in the colony, and for lower income group it shall not be less than 6%:

Provided further that the State Government may, through rules, provide that for the economically weaker sections, the colonizer may provide developed plots and/or constructed houses/flats at a place other than in the colony, which place must satisfy the conditions prescribed in this regard."

(2) sub-section (2) shall be omitted.